कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 30/05/2025**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 29.05.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. <u>महिला सहायता प्रकोष्ठ / परिवार परामर्श केन्द्र गाजीपुर द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से अलग हुए 01 परिवार की कराई गई विदाई।</u>

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय गाजीपुर के कुशल निर्देशन मे आज दिनांक 29.05.2025 को परिवार परामर्श केन्द्र गाजीपुर मे पति पत्नी के विवाद से संबंधित कुल 10 प्रकरण को सुना गया जिसमे काफी समय से विवादित चल रहे 01 प्रकरण में दोनों पक्षों को बैठा कर मध्यस्थता के माध्यम से बिना किसी दबाव के राजी खुशी से गिले शिकवे भूला कर विदाई करवाई गई 03 प्रकरण में कुशलता के बाद पत्रावली बंद कर दी गई 02 प्रकरण में विधिक सुझाव देते हुए पत्रावली बंद कर दी गई 04 प्रकरण में अभी मध्यस्ता न होने के कारण अगली तिथि निर्धारित की गई।

02. <u>'श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर सामूहिक बलात्संग/पॉक्सो एक्ट के मुकदमे के 02 अभियुक्तों को 20-20 वर्ष का कारावास व 30000-30000 /- रुपये अर्थदण्ड, की मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा। '</u>

दिनांक 29.05.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना करण्ड़ा जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 48/21 धारा- 376 (डी), भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट से सम्बंधित प्रकरण के अभियुक्तगण 1. प्रमोद बिन्द पुत्र राधेश्याम बिन्द व 2. सुरेन्द्र बिन्द पुत्र चन्द्रमा निवासीगण ग्राम दीनापुर थाना करणड़ा जनपद गाजीपुर को मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए धारा- 376 (डी) भदावि में 20-20 वर्ष का कारावास व 15000-15000 /- रू0 अर्थदण्ड एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में 20-20 वर्ष का कारावास व 15000-15000 /- रू0 अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर